न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 35/23 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/74

उनवान

1. मोहन सिंह
2. रामलाल
3. हुकमसिंह
4. महेश
5. दौलत

} पिसरान ग्यासीराम जाति माली निवासी गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. मनीराम
2. वासदेव

} पिसरान मौहरसिंह जाति माली निवासी गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर।

.............वादी/असल रेस्पोडेन्ट्स

3. रामचंद
4. हुकमसिंह
5. तेजपाल
6. गिर्राज

} पुत्रान स्व. खूबी जाति माली निवासी गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

...........रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 165/2016 बउनवानी मनीराम बनाम वासदेव में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।
3. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 6 श्री दिनेशचंद शर्मा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 165/2016 बउनवानी मनीराम बनाम वासदेव में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 19/1.07, 20/0.62, 21/0.10, 27/0.81, 22/0.01 वाके ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर स्थित पर मुताबिक मनबट हाल खसरा नम्बर 19/1.07 सम्पूर्ण पर एवं 20 व 27 में से 23 ऐयर रकबा खसरा नम्बर 19 के सहारे–सहारे रकबा का बटा नम्बर अंकित कर वादीगण के कुर्रे में तथा शेष आराजी का प्रतिवादीगण के कुर्रे में खाता व लगान कायम किये जावे या विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का मीट्स एण्ड वाउण्ड के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग लगान खाता एवं कुर्रा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कायम किये जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मुरवारा पर पेश कर दिनांक 08.10.2021 को उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरपाल सिंह कुन्तल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचंद शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पत्रावली कैम्प कोर्ट मुरवारा पर ले जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट्स की सहमति के पत्रावली राजस्व अभियान प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में ले जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया जबकि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ही राजस्व अभियानों में निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट हुकम सिंह पुत्र ग्यासी वक्त निर्णय मौके पर उपस्थित नहीं था। उसके सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी पत्रावली पर नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो काबिल निरस्तनीये है। उक्त प्रकरण दो हुकमसिंह हैं जबकि कैम्प कोर्ट में केवल एक ही हुकम सिंह आया था। राज्य सरकार के नियमानुसार राजस्व अभियान कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित करने हेतु सभी पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए जबकि उक्त प्रकरण में सभी पक्षकारों की सहमति नहीं थी और न ही अपीलान्ट सहमत था। अधीनस्थ न्यायालय में अभी तहसीलदार का जबाब भी लम्बित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि आदेश दिनांक 08.10.2021 एक तरफा में पारित आज्ञा है जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नही है। दिनांक 03.02.2023 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा नोटिस देने पर प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई इस पर प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में पता किया और पता लगने पर दिनांक 07.02.2023 को नकल के लिये आवेदन किया। नकल दिनांक 07.02.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार होने जानकारी व मिलने नकल से प्रार्थीगण यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहे है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर नकल मिलने मे हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 19/1.07, 20/0.62, 21/0.10, 22/0.01, 27/0.81 किता 5 रकबा 2.61 हैक्टेयर वाके ग्राम गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर स्थित 'है जिसमें रेस्पोडेन्ट/वादीगण 1/2 व अपीलान्ट्/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 1/2 हिस्सा के सह खातेदार काबिज काश्तकार है तथा मुताविक मनबट मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान भी मुताबिक हिस्सा राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे हैं विवादित आराजी में से वादीगण को निष्फ हिस्सा के मुताबिक 1.30 हैक्टेयर आराजी आती है जिसके अनुसार मनवट से वादीगण हाल खसरा नम्बर 19/1.07 एवं शेष 23 ऐयर रकबा पर हाल खसरा नम्बर 20/0.62 व 27/0.81 में से हाल खसरा नम्बर 19 के सहारे सहारे वतरफ पश्चिम मौके पर अपने पिता मौहरसिंह के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में वदयान्ति आ गई है अब प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 20 व 27 में वादीगण के हिस्सा 23 ऐयर से वादीगण को जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं या बिना विभाजन के ही आराजी को दीगर जगह रहन बय मुन्तकिल करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा जब प्रतिवादींगण से विभजान की कहा तो साफ इनकार कर दिया। जिसके कारण वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था। अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मीमों अलग है जबकि बहस अलग की गई है। कैम्प कोर्ट मुरवारा में सभी पक्षकार उपस्थित हुए हैं। अपील मीमों की मद सं. 4 में यह अकित किया गया है कि अपीलान्ट हुकम सिंह पुत्र ग्यासी वक्त निर्णय मौके पर उपस्थित नहीं था। उसके सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी पत्रावली पर नहीं है। जबकि आदेशिका पर हुकम सिंह के हस्ताक्षर है। दावा दिनांक 08.10.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया तो अपीलान्ट इतने दिन शान्त क्यों रहा। उक्त प्रकरण में अभी केवल प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिससे अपीलान्ट के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान की उपस्थिति एवं पूर्ण जानकारी में पारित की गई है जिसमें कानूनी, प्रावधानों एवं विभाजन के नियमों के अनुरुप कुर्रेजात कायम कर तहत न्यायालय को उभयपक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से भेजे जाने बाबत आदेश पारित किया गया है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पक्षकारान को पूर्ण सहमति एवं जानकारी में पारित की गई है जिस पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है मौजूदा अपील स्पष्ट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है, असत्य एवं आधारहीन तथ्य वर्णित किये गये हैं। अतः प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट खारिज फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 6 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी में सभी हिस्से बराबर हैं, यह कोई घोषणा नहीं है। प्रकरण में अभी केवल प्राथमिक डिक्री की गई है जिसमें अपीलान्ट स्वयं उपस्थित थे। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स को कैम्प की सूचना थी, तभी अपीलान्ट उपस्थित हुए थे। अपीलान्ट्स को शुरु से ही प्राथमिक डिक्री की जानकारी थी लेकिन जब कुर्रा रिपोर्ट बनकर आये तब अपीलान्ट्स ने अपील दिनांक 28.02.2023 को पेश की है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार की तामील हो चुकी है एवं तहसीलदार कैम्प कोर्ट मुरवारा पर उपस्थित थे। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत रुप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

8. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 28.02.2023 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

9. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा जबाब पेश किया गया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

10. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी/रेस्पोडेन्ट असल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था। उक्त प्रकरण में वादीगण ने यह अनुतोष चाहा कि "विवादित आराजी खसरा नम्बर 19/1.07, 20/0.62, 21/0.10, 27/0.81, 22/0.01 वाके ग्राम गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर स्थित पर मुताबिक मनबट हाल खसरा नम्बर 19/1.07 सम्पूर्ण पर एवं 20 व 27 में से 23 ऐयर रकबा खसरा नम्बर 19 के सहारे–सहारे रकबा का बटा नम्बर अंकित कर वादीगण के कुर्रे में तथा शेष आराजी का प्रतिवादीगण के कुर्रे में खाता व लगान कायम किये जावे या विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का मीट्स एण्ड वाउण्ड के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग लगान खाता एवं कुर्रा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कायम किये जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद किया जावे। **उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मुरवारा पर पेश कर दिनांक 08.10.2021 को उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।**"

अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.07.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसके बाद आदेशिका दिनांक 19.10.2016 में यह अंकित किया गया कि अभिभाषक वादी उप०। तलबी प्रतिवादीगण हो। आगामी पेशी दिनांक 25.01.2017 नियत की गई। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.05.2017 में यह अंकित किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः खूबीराम व ग्यासी दावा करने से पूर्व ही मृत हो गये। दिनांक 25.04.2017 को प्रा0पत्र O1 R10 सीपीसी पेश कर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही की गयी। दावा विभाजन का है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 25.04.2017 स्वीकार किया गया एवं संशोधित शीर्षक पेश करने बाबत् आगामी पेशी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 01.08.2017 नियत की गई। आदेशिका दिनांक से यह जाहिर आता है कि प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया गया। एवं प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/4 ने रजि. एडी. लिफाफे लेने से इन्कार किया गया। इसलिए इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली इन्तजार तलबी दिनांक 04.06.2019 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.01.2021 के अनुसार प्रतिवादी सं. 2/5 की तलबी हेतु समय चाहा गया। अन्तिम अवसर दिया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.03.2021 नियत की गई। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 08.10.2021 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुरवारा पर पेश की जाकर उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई।

जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका 19.01.2021 से यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली में अभी शेष प्रतिवादीयों की तलबी नहीं कराई गई तथा पत्रावली अभी तलबी में ही चल रही थी एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 08.10.2021 से स्पष्ट होता है कि केवल मनीराम, हुकमसिंह, तेजपाल ने बंटवारे बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की है लेकिन उदयसिंह, रामलाल, मोहनलाल, दौलत व रामचन्द बंटवारा कराने के लिए सहमत नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उभयपक्षों की ओर से प्रकरण को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई सहमति व्यक्त की गयी हो और विधि स्पष्ट है कि विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम के तहत लोक अदालत में किसी प्रकरण के राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र तब पैदा होता है जब उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किए जाने का आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को उभयपक्षों की सहमति से लोक अदालत को रैफर किया हो। बंटवारा कराने के लिए केवल मनीराम, हुकमसिंह, तेजपाल ने ही सहमति प्रकट की है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर पक्षकारों की ओर से कोई राजीनामा या सहमति का भी कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि राजीनामा के आधार पर या सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत द्वारा किया गया हो और आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सभी पक्षकारान मौजूद भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.10.2021 लोक अदालत कैम्प मुरवारा द्वारा राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार भूमिधारी की तामील कराये एवं बिना सूचना दिये लोक अदालत कैम्प मुरवारा में पत्रावली रखी जाकर उसका निस्तारण केवल लोक अदालत में अपने द्वारा निस्तारित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए ही किया गया है। जबकि बंटवारे के दावे में भूमिधारी तहसीलदार धारा 53(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक पक्षकार होते हैं उनको तामील ही नही करवाई गयी है एवं न ही शेष प्रतिवादी सं. 2/5 की तलबी कराई गई है। जो विधिसम्मत नहीं है। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की तलबी कराई जाकर, उभयपक्षों की समुचित सुनवाई हेतु पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम गुण्डवा व अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए एवं ना ही उक्त दस्तावेजों को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है। आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण विधिवत कानून की पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में विधिवत रुप से उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य, सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करें।
12. निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
13. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
14. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर